

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।

पत्रांक 208 / 5-8 कौशाम्बी, दिनांक जुलाई 28, 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 वन प्रभाग, प्रयागराज वृत्त,
प्रयागराज।

विषय :- जनपद कौशाम्बी में राष्ट्रीय मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी0 49.155 से 74.700 तक (सिंगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हाईब्रिड वार्षिक मोड पर कस कर रहे एन0एच0-731ए जिला कौशाम्बी में प्रस्तावित 4लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण में प्रभावित 15.461 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बाघक 51 वृक्ष के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 3075/11-सी दिनांक 27.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम अद्यत कराना है कि प्रस्ताव में उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर राष्ट्रीय मार्ग लो0नि0 विभाग ने अपने पत्रांक 1648/एन0एच0-731ए दिनांक 28.07.2023 द्वारा आख्या प्रेषित है। जो निम्न प्रकार है।

Sr. No	Query	Reply
1	Revised KML file needs to be provided to support the reply of EDS dated 08.06.2023 of query at S.No. 2.	In this proposal, according to the gazette notification, the forest land has been demarcated as protected forest, a copy of which is attached with this proposal.
2	As per the previous query SL No.-III regarding uploading of SOI toposheet on the portal is still not resolved. Adjacent SOI toposheet (63G/6) of the area proposed for diversion also needs to be uploaded on PARIVESH portal for complete depiction of complete alignment.	Adjacent SOI toposheet (63G/6) of the area proposed for diversion has been uploaded on Parivesh Portal.
3	Alternate area needs to be proposed for CA. Accordingly, KML file of revised CA area and all related documents needs to be uploaded on PARIVESH Portal.	Re-joint inspection of previously proposed degraded forest land for Compensatory Afforestation in Mahuli forest block, Koraon range, Prayagraj Forest Division, and as per Joint inspection proposed Forest land is suitable for Compensatory Afforestation.
4	User agency/ DFO needs to certify that the road was constructed prior to 1980.	National Highways Division, UP PWD, Prayagraj certifies that the road was constructed prior to 1980 and the certificate of which is also enclosed with this compliance for your perusal.

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0एस0 यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

संख्या 208 / समदिनांक।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड (लो0नि0वि0) प्रयागराज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(आर0एस0 यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

Letter No.- 1648/NH-731A

Date- 28-07-2023

To,

The Divisional Forest Officer
Forest Division Kaushambi


Date:28-07-2023

Subject: Proposed Protected Forest Land to be diverted for Construction of 4-lane green field highway from Km. 49.155 to Km. 74.700 (Singraur Uparhar to Baranpur Kadipur Ichauli) Crossing on NH-731A on Hybrid Annuity Mode In District:- Kaushambi. (Online Proposal No: FP/UP/ROAD/153349/2022)

Reference: Office of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Integrated Regional Office, Lucknow, Letter no. 8B/UP/06/32/2023/F.C./222, dated 06.07.2023.

Respected Sir,

Sr. No.	Query	Reply
1	Revised KML file needs to be provided to support the reply of EDS dated 08.06.2023 of query at S.No.2.	In this proposal, according to the gazette notification, the forest land has been demarcated as protected forest, a copy of which is attached with this proposal.
2	As per the previous query SL No.-III regarding uploading of SOI toposheet on the portal is still not resolved. Adjacent SOI toposheet (63G/6) of the area proposed for diversion also needs to be uploaded on PARIVESH portal for complete depiction of complete alignment.	Adjacent SOI toposheet (63G/6) of the area proposed for diversion has been uploaded on Parivesh Portal.
3	Alternate area needs to be proposed for CA. Accordingly, KML file of revised CA area and all related documents needs to be uploaded on PARIVESH Portal.	Re-joint inspection of previously proposed degraded forest land for Compensatory Afforestation in Mahuli forest block, Koraon range, Prayagraj Forest Division, and as per Joint Inspection proposed Forest land is suitable for Compensatory Afforestation.
4	User agency/ DFO needs to certify that the road was constructed prior to 1980.	National Highways Division, UP PWD, Prayagraj certifies that the road was constructed prior to 1980 and the certificate of which is also enclosed with this compliance for your perusal.


(Authorized Signatory)

National Highway Division,
U.P. PWD Prayagraj

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक- 423 / 15-1 दिनांक, प्रयागराज, जुलाई, 07/2023।

सेवा में

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
कौशाम्बी।

ऑनलाइन प्रस्ताव सं०-FP/UP/ROAD/153349/2022

विषय:- जनपद कौशाम्बी में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी० सं०-49.155 से किमी० सं०-74.700 तक (सिगरीर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हार्डब्रिड वार्षिक मोड पर क्रास कर रहे एन०एच०-731ए जिला-कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण में प्रभावित 15461 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-71/11-सी-FP/UP/ROAD/153349/2022, दिनांक 10.07.2023 एवं आपका पत्रांक-178/5-8, दिनांक-25.07.2023

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अपेक्षित सूचना/जानकारी निम्न प्रकार प्रेषित है-

Sr. No	Query	Reply
1	2	3
1.	Alternate area needs to be proposed for CA. Accordingly, KML file of revised CA area all related document needs to be uploaded on Parivesh Portal.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयागराज वन प्रभाग के कोराव रेंज के महुली वन ब्लॉक में पूर्व प्रस्तावित अवनत वन भूमि का मौके पर पुनः प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराने हेतु उपयुक्त है।

भवदीय,

(भवदीय कोषालगी)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़)	क्षेत्रफल (हेक्टर)	विकास क्षेत्र
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

प्रभागीय वनाधिकारी
 प्रभागीय वनाधिकारी
 कोशाखी

प्रभागीय वनाधिकारी
 साठ वा ० प्रभाग
 कोशाखी

सं. १११/१५-१३१-१०-उत्तर प्रदेश के राजपनाम अधीन की बात है कि विद्यमान करों के दंड, १९२० (दंड सं. १६)

प्रादेशिक शासन
 लखनऊ, १९२० ई.
 १०/११/१५-१३१-१०
 १९२० ई.
 १९२० ई.
 १९२० ई.

पुर्वि-पत्र

११ फरवरी, १९२० ई.

सं. १११/१५-१३१-१०-उत्तर प्रदेश के राजपनाम अधीन की बात है कि विद्यमान करों के दंड, १९२० (दंड सं. १६) की धारा २९ को उपधारा (१) के कारण अपेक्षित बांध तथा बर्तित कर्तव्य में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बांध पर काम के अधिकारी को खतरा हो सकता है।

आज्ञा है,
 इच्छित कार्य समाप्त,
 अतिरिक्त।

यन विभाग

विषय

१० फरवरी, १९२० ई.

सं. १११/१५-१३१-१०-उत्तर प्रदेश के राजपनाम अधीन की बात है कि विद्यमान करों के दंड, १९२० (दंड सं. १६) की धारा २९ को उपधारा (१) के कारण अपेक्षित बांध तथा बर्तित कर्तव्य में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बांध पर काम के अधिकारी को खतरा हो सकता है।

अतएव उपरोक्त उपधारा के प्रतिबंधों को धारा २९ के अंतर्गत दंड की धारा ८०-ए के द्वारा प्रति रकम प्रत्येक की अनुसूची (२) द्वारा निर्दिष्ट बर्तितों का प्रयोग करने के अंतर्गत अधीन अधीन धारित करते हैं कि इस प्रकार बांध तथा बर्तित कर्तव्य दंड के अंतर्गत के अध्याय ४ के अंतर्गत संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

क्रमांक	भाग (सूचक)	दूरी मीटर, कजिरी मीटर और छीलों में	विवरण
१-मेरठ रोड	१-मेरठ-बगलपत रोड	२ मीटर से ३ मीटर तक	बंदि की सीमा तक ही लागू की गई है।
	२-बागलपत-हनुमानपुर	१ मीटर से २ मीटर तक	
	३-बागलपत-सीता-गाहपुर	सम्यक् १७ मीटर २ फुट २६० कीट तक	
	४-मेरठ-मुआना	२ मीटर से १७ मीटर तक	
	५-मेरठ-मुआना	२ मीटर से २९ मीटर तक	
	६-सी० आर० एम० रोड	४१ मीटर से ५५ मीटर तक	
	७-सी० सी० रोड	८७० मीटर से ८७३ मीटर तक	
	८-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	१ मीटर से ६ मीटर तक	
	९-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	सम्यक् से २ फुट १०६ कीट तक	
	१०-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	सम्यक् से ५ फुट १० कीट तक	
	११-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	२.४२६ से १२.१.१२०	
	१२-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	०.०० से १.५.२५०	
	१३-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	२१ मीटर से ३१ मीटर ३ फुट २०० कीट तक	
	१४-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	१ से १ मीटर	
	१५-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	२१ मीटर से ३१ मीटर ३ फुट २०० कीट तक	
	१६-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	२८ मीटर ६ फुट से ८ फुट ३ फुट १ फुट से ३ फुट तक	
	१७-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	८७३ मीटर ५४८ फुट से ८७९ मीटर २ फुट ७० कीट तक	
	१८-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	१ मीटर से २१ मीटर ६ फुट २४९ कीट तक	
	१९-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	१ मीटर ४८४ फुट से १९ मीटर ४ फुट ७० कीट तक	
	२०-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	५६ मीटर से ९१ मीटर	
	२१-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	२४ मीटर ६ फुट से २ मीटर ३१ कीट तक	
	२२-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	२ मीटर से ३१ मीटर	
	२३-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	७७ मीटर से १० मीटर	
	२४-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	७३ मीटर से २१ मीटर तक	
	२५-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	सम्यक् से ३ मीटर तक	
	२६-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	४ मीटर तक	
	२७-बंगलपुर-बंगलपुर रोड	२४ मीटर से ५३ मीटर ३ फुट ७० तक	

प्रभागीय वनाधिकारी
 साठ वाठ प्रभाग
 काशी

प्रभागीय वनाधिकारी
 काशी

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड
National Highways Division
लो०नि०वि०, प्रयागराज - 211 002
UPPWD, Prayagraj-211 002



26 - कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज
26 - Kasturba Gandhi Marg,
Prayagraj
E-mail: eenallahabad@gmail.com

Letter no. 1641/NH-731A-pkg-III

dated 27-07-2023

**CERTIFICATE FOR CONSTRUCTION YEAR OF EXISTING ROAD SECTION OF
NH731A**

The alignment of the project highway "Construction of 4-lane green field highway and improvement of existing alignment from Km 49.155 to Km 74.700 (Singraur Uparhar to Baranpur Kadipur Ichauli) of NH 731 A on HAM in district of Prayagraj and Kaushambi of Uttar Pradesh State" is the combination of existing road and Bypasses. This is to certify that the existing alignment of the subject project was constructed prior to 1980.


प्रभागीय वनाधिकारी
कौशाम्बी वन प्रभाग
कौशाम्बी


Ravindra Pal Singh


27/7/2023
Ravindra Pal Singh
Executive Engineer
National Highways Division
PWD Prayagraj